उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-79/2015/4080/62-2-2015-1295/1990
लखनऊ: दिनांक: 25 जून,2015

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री ए0के0 श्रीवास्तव,, अधिशासी अभियंता, (मुख्यालय) लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को, नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, परियोजना निदेशक, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 शासन के पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री ए0के0 श्रीवास्तव,, अधिशासी अभियंता, (मुख्यालय) लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था नियमित परियोजना निदेशक की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

ह0/

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-79/2015/4080(1)/62-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, विशेष सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in